

भाग -2 (संबन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जायेगा)

16. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति. जुनापुर-पौड़ी गढ़वाल में बसीला-वगडियालगांव के बीच भाग निर्माण

(I) राज्य/संघराज्य क्षेत्र -- उत्तराखण्ड।

(II) जिला -- पौड़ी गढ़वाल।

(III) जिला वन प्रभाग -- गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी।

(IV) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र :- 3.132 हे०

17. पूर्वक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्राप्ति :- 0.882 हे० प्रस्तावित वन भूमि 2.250 हे० राजस्व वन भूमि 3.132 हे०

18. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौरा :-

(I) वन का प्रकार :- आर्क्षित वन/दिविल वन

(II) वनस्पति का औसत पूर्ण घनत्व :- 0.3

(III) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना :- प्रा. रूप - 19 के अनुसार चूड़ी प्रजाति के विभिन्न लक्ष वन के 52 वृक्ष प्रभावित होंगे

(IV) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा :- भोय नाम निर्माण

19. भूक्षरण के लिए पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पण :- भू-वैज्ञानिक की रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र में 25 दिग्गम गड्ढा खुदाई का अनुपालन के तहत भाग निर्माण भू-भूभाग प्रभावित होगा

20. वन भूमि की सीमा से पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी :- 0 Km

21. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता :-

(I) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा :- वृद्ध वन्य जीव विभाग 871

(II) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अल्पवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) :- नहीं

(III) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि०मी० के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) :- **नहीं**

(IV) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रास आदि पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि०मी० के भीतर अवस्थित है (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) **नहीं**

(V) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जन्तु के अलग या खतरे में अलग किस्म की प्रजातियां हैं, यदि है तो उनके ब्यौरे :-

22. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किये जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन०ओ० सी०) के साथ उनका ब्यौरा दें) :- **नहीं**

23. पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें :-

(i) क्या भाग- 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है :- **हाँ**

(ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग किया जा सकता है। -

24. किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे :-

(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धन्तों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हाँ/नहीं) **नहीं**

(ii) यदि हाँ, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्फलित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरुद्ध की गई कार्यवाही :-

(III) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हाँ/नहीं) **नहीं**

25. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे :-

(i) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विविध प्रास्थिति :- **ग्राम - दोड़ की विनिल**

(ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवतन वन जैसे ब्यौरे दें :- **ग्राम - दोड़ की विनिल की भूमि अवतन में 7551**
कुल क्षेत्रफल - 10.040 हेक्टेयर 6.2648

(III) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवतन वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न हैं। **हाँ**

6

(IV) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न है (हां/नहीं) :- हाँ

(V) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय :- ₹ 9,57,52.00

(VI) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचान किए गए क्षेत्र की व्यक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण-पत्र संलग्न है (हां/नहीं) :- हाँ

26. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित क्रियाकलापों के समाधान से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां/नहीं) :- हाँ (प्रमाण न)

27. स्वीकृत या अन्यथा कारणों से साथ प्रस्ताव के लिए उप वनसंरक्षक की विनिदिष्ट सिफारिशें :- प्रतिलिपि में
- हस्तक्षेप की जाती है

स्थान : पौड़ी (प्रमाण)

तारीख : 18-08-2015

हस्ताक्षर

नाम

प्रमाण-पत्र
प्रभागीय वनाधिकारी
पहाड़वाल वन प्रभाग
पौड़ी
शासकीय मुद्रा